दूरभाष : 0771.2285352, 2285353(फैक्स)
E-mail : dco-chh.rgi@censusindia.gov.in

2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS CHHATTISGARH
गोविन्द सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर – 492006
Govind Sarang Complex, 3rd Floor, New Rajendra Nagar, Raipur -492006

क्रमांक डी–15037 / 1 / 2011–डीसीओ(छ.ग.) /478 दिनांक– 03-06-2011

निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर स्थित कार्यालय, में **जनगणना 2011 से संबंधित संक्षिप्त मकानसूची के लगभग 50,000 बुकलेट के दो सेट फोटोकापी** कार्य हेतु प्रति पृष्ठ फोटो कापी के लिये दर प्रदाय करने हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करती है। नियम व शर्तें निम्नानुसार है :–

1. **कार्य का विवरणः–**

(अ) संक्षिप्त मकानसूची में खण्ड 1 से खण्ड 6 तक है, जिसमें से **खण्ड–1 एवं खण्ड–3 के सभी पृष्ठो की फोटोकापी की जानी है तथा खण्ड–2 एवं खण्ड–4 के भरे हुये पृष्ठों की फोटोकापी की जानी है,** लेकिन खण्ड–5 एवं खण्ड–6 की छायाप्रति नहीं किया जाना है।

(ब) इसप्रकार प्रत्येक बुकलेट में लगभग 20–21 (दोनो तरफ मिलाकर) पृष्ठों की फोटोकापी किया जाना है। कुल मिलाकर **दो सेट** में लगभग 20–22 लाख (दोनो तरफ मिलाकर) पृष्ठों की फोटो कापी किया जाना संभावित है ।

(स) प्रत्येक बुकलेट की फोटोकापी निकालने के पश्चात स्टेप्लर पिन से स्टेप्लर कर बुकलेट बनाया जाना होगा।

(द) **यह दस्तावेज गोपनीय होने के कारण उनकी फोटोकापी का कार्य फोटोकापी मशीन को कार्यालय में स्थापित करके किया जाना होगा** तथा किसी भी स्थिति में इन दस्तावेजों को कार्यालय से बाहर नहीं ले जाना है। फोटोकापी का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस में (रविवार को छोडकर) प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक किया जा सकता है ।

(इ) फोटोकापी मशीन पर खपत होने वाली विद्युत का व्यय कार्यालय द्वारा वहन किया जावेगा।

2. **कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं न्यूनतम बोली संख्या(Minimum Bid Quantity)**

जनगणना का कार्य समय–सीमा में किये जाने वाला राष्ट्रीय कार्य है कार्य आदेश जारी होने के 45 दिन के अंदर किया जाना है। समयावधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा। चूंकि किये जाने वाले फोटोकापी की संख्या अत्यधिक है , ऐसे में निविदाकर्त्ता न्यूनतम 5 लाख पृष्ठ फोटोकापी के लिये बोली (Bid) प्रस्तुत कर सकता है तथा अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं किया गया है ।

3. **दर प्रदाय**

फोटोकापी कार्य हेतु फोटोकापी पेपर निदेशालय द्वारा प्रदाय किया जावेगा । अतः दर केवल प्रति पृष्ठ फोटोकापी कार्य के लिये प्रदाय किया जावे । प्रदत्त दर में समस्त कर एवं अन्य समस्त व्यय यथा फोटोकापी मशीन परिवहन, मजदूर, स्टेपल चार्ज आदि सम्मिलित हो ।

4. **सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit):–**

प्रत्येक 5 लाख की बोली (Bid) पर निविदा के साथ रू. 5000/–सुरक्षा राशि (Earnest Money) संबंधी ड्राफ्ट संलग्न किया जाना होगा । संपूर्ण कार्य के लिये एक ही फर्म द्वारा बोली (Bid) भरे जाने पर रू. 22,000/– की सुरक्षा राशि जमा किया जाना होगा । **सुरक्षा राशि अकाउण्ट पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट हो तथा किसी राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा जारी निदेशक, डी.सी.ओ.छत्तीसगढ, रायपुर (Director, D.C.O. Chhattisgarh, Raipur) के नाम से तथा रायपुर में देय हो**

5. **निविदाकर्त्ता हेतु योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज**

अ. निविदाकर्त्ता फर्म पंजीकृत होना चाहिये जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ब. इस कार्य के लिये सुरक्षा राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

6. **सुरक्षा राशि की वापसी**

असफल निविदाकर्त्ताओं की सुरक्षा राशि जमा (Earnest Money Deposit) कार्य आदेश अवार्ड करने के 30 दिनों के अंदर वापस कर दी जावेगी । उक्त राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

7. **भुगतान** :–

प्रत्येक 3 लाख फोटोकापी का कार्य पूर्ण होने के पश्चात L1 दर के आधार पर फोटोकापी किये गये 3 लाख फोटोकापी की राशि का 50 प्रतिशत का बिल प्रदाय करने पर भुगतान किया जावेगा तथा कार्य समाप्ति उपरांत शेष राशि का भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्रवाई किया जावेगा किन्तु बिल प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रशासनिक कार्रवाई में किसी कारणवश समय लगने पर किसी भी स्थिति में आगे की फोटोकापी का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए ।

8. **निविदा जमा/खोलने की तिथि**

निविदा जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ में दिनांक 13/6/2011 को दोपहर 3.00 बजे या इसके पूर्व जमा किया जा सकता है । इस तिथि या समय के बाद प्राप्त निविदा को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा । दिनांक 13/6/2011 को 03.30 बजे कार्यालय के क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा । **निविदा के साथ बिन्दु 5 में उल्लेखित उप बिन्दु 'अ' के समर्थन में स्व–सत्यापित दस्तावेज लगाना होगा । साथ ही सुरक्षा राशि संबंधी बैंक ड्राफ्ट अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना होगा ।** इसके अभाव में संबंधित निविदाकर्त्ता का निविदा निरस्त कर दिया जावेगा । निविदा खोले जाने के दौरान निविदाकर्त्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

9. **अवार्ड प्रक्रिया**

क्रय समिति द्वारा सभी सफल निविदाकर्त्ताओं द्वारा प्रदत्त दर को बढ़ते क्रम में रैंकिग करेगा । समस्त व्यय सहित सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म के दर को L1 माना जावेगा । एक बार दर फायनल हो जाने पर L1 फर्म को उनके द्वारा प्रस्तुत बोली संख्या के आधार पर कार्य आदेश जारी किया जावेगा । इसके पश्चात् यदि L1 फर्म को दिये गये कार्य के बाद भी कार्य शेष रहता है तो L2 फर्म को पहले L1 फर्म से दर मैच करने हेतु कहा जायेगा । यदि L2 फर्म, L1 के दर से मैच करने पर सहमत होता है तो उसे उनके द्वारा प्रस्तुत बोली संख्या अथवा शेष बचे कार्य जो भी न्यूनतम हो, हेतु कार्य आदेश जारी किया जावेगा । यदि L2 फर्म L1 दर से मैच करने पर सहमत नहीं होता तो ऐसी स्थिति में L3 फर्म से L1 दर पर कार्य करने हेतु पूछा जायेगा । यदि वह सहमत हो, उसे उनके द्वारा प्रस्तुत बोली संख्या अथवा शेष बचे कार्य जो भी न्यूनतम हो, हेतु कार्य आदेश जारी किया जावेगा । यही प्रक्रिया तब तक अपनायी जावेगी जब तक पूरे कार्य का आबंटन नहीं हो जाता ।

उक्त प्रकिया में समस्त फर्म यह ध्यान रखें कि प्रत्येक बुकलेट में चूंकि किये जाने वाले फोटोकापी की संख्या निश्चित नहीं है ऐसे में बोली की संख्या से कम फोटोकापी का कार्य आबंटित हो सकता है । ऐसे में किसी भी प्रकार के दावा स्वीकार्य नहीं होगा । निदेशालय को यह अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार कार्य आवंटन में बोली की संख्या से 20 प्रतिशत कम अथवा अधिक भी आबंटित कर सकता है ।

10. फोटोकापी किये जाने वाले बुकलेट के सैम्पल का अवलोकन कार्यालयीन समय में निदेशालय के स्टोर प्रभारी के माध्यम से किया जा सकता है ।
11. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद/परिवाद भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर की मध्यस्थता में निपटाए जाएंगे । आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य/बाध्यकारी होगा।
12. निविदाओं को मान्य/अमान्य करने अथवा निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा ।

(जोस टी.वर्गिस)
उप निदेशक